राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.2 (क) (ए—250) अलेसे— I / 3699-05 दिनांकः— 29-05-2024

आदेश

महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 357 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा श्री अमन कुमार त्रिपाठी, खण्डीय लेखाकार (प्रोबेशनर) का पदस्थापन कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन (करौली) में किया गया है तथा श्री त्रिपाठी के पदस्थापन से अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक श्री अरविन्द कुमार मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। उक्त कार्यालय में अधिशेष हो गए हैं। कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन (करौली) में नियमित निर्माण संबंधी लेखा कार्यों एवं अन्य कार्यालय पद्धति के कार्यों के चलते एवं श्री त्रिपाठी, खण्डीय लेखाकार (प्रोबेशनर) को वर्तमान में लेखा कार्य अधिक अनुभव नहीं होने वर्तमान में आचार संहिता प्रभावी होने के कारण श्री अरविन्द कुमार मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। (खण्डीय लेखाधिकारी) को कार्यालय के सुचारू रूप से कार्य निष्पादन हेतु आज दिनांक तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है। कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन (करौली) में अधीनस्थ लेखा सेवा के स्वीकृत एक पद पर श्री अमन कुमार त्रिपाठी, खण्डीय लेखाकार (प्राबेशनर) के पदस्थापित होने के कारण श्री अरविन्द कुमार मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। का मार्च, 2024 से वेतन आहरण नहीं हुआ है।

अतः श्री अरविन्द कुमार मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। का वेतन भुगतान कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड करौली में अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पद से आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ.2 (क) (ए—250) अलेसे— I / 3699-05 दिनांकः— 24/05/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड करौली।
2. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन (करौली)।
3. कोषाधिकारी, करौली।
4. श्री अरविन्द कुमार मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड हिण्डौन (करौली)।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—I)